

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 62 / 2016

संस्थित दिनांक- 02.02.2016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.

.....**अभियोजन**

वि रू द्ध

1. मनीष पिता सीताराम गाढे
2. श्रीमती बसंती पति सीताराम गाढे
दोनों निवासी शिक्षक कॉलोनी अंजड

.....**अभियुक्तगण**

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	- श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 24 / 11 / 2016 को घोषित)

1. अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड के अपराध क्रमांक 254 / 2015 के आधार पर दिनांक 24.10.2015 को दिन के लगभग 9:00 बजे अंजड में अपने निवास स्थान में फरियादिया इक्विनो उर्फ गायत्रीबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादिया से फ्रीज, टी.वी.वांशिक मशीन मोटरसायकल एवं 50,000 / - रुपये नकद दहेज की मांग की एवं नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने तथा दहेज के रूप में फ्रीज, टी.वी.वांशिक मशीन मोटरसाईकिल एवं 50,000 / - रुपये की अवैध रूप से मांग करने के संबंध में भा.द.वि. की धारा 498-ए सहपठित धारा 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियोजन साक्षीगण अभियुक्तगण को जानते हैं। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.10.16 को फरियादिया ने अभियुक्तों से राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया, किंतु उक्त राजीनामा विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया गया है।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.10.2015 को फरियादिया इक्विनो उर्फ गायत्रीबाई ने थाने पर आकर अभियुक्तों के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह शिक्षक कॉलोनी अंजड हाल मुकाम गाढे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धामनोद रहती होकर गृहणी है, उसकी शादी मनीष पिता सीताराम गाढे निवासी शिक्षक कॉलोनी अंजड के साथ दिनांक 15.05.2011 को सामाजिक जाति रिवाज के अनुसार

उसके घर पर हुई थी। वह शादी के पश्चात से अपने पति मनीष गाटे के साथ उसके घर अंजड़ में रहती होकर उसकी एक लड़की परी उम्र 3 वर्ष है, उसके पति के साथ वह, उसका ससुर सीताराम गाटे, सास श्रीमती बसंतीबाई, जेठ सुरेश गाटे, जेठानी श्रीमती सुनीता गाटे एक ही मकान में रहते हैं। दिनांक 24.10.2015 को दिन के लगभग 9:00 बजे उसके ससुराल शिक्षक कॉलोनी अंजड़ में उसके पति मनीष, ससुर सीताराम गाटे, सास श्रीमती बसंतीबाई, जेठ सुरेश गाटे, जेठानी श्रीमती सुनीता गाटे सभी घर पर थे, उसके पति मनीष गाटे दहेज में नगदी 50,000/- रुपये फ्रीज, टी.वी.वांशिग मशीन एवं मोटरसाईकिल शादी के दहेज में नहीं देने की बात पर से उसे हाथ मुक्को से मारपीट की थी उसके पति मनीष ने घर में रखी दवा पिला दी थी जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसे गुरुपद अस्पताल बड़वानी में उसी दिन करीब 11-12 बजे दिन में होश आया तो उसके पास उसके मम्मी पापा खड़े थे जिन्होंने उसे जगाया वह अस्पताल में 24.10.2015 से 27.10.2015 तक ईलाज हेतु भर्ती रही थी। फरियादिया इक्विनो उर्फ गायत्रीबाई की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 254/15 भा.द.वि. की धारा-498/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का अपराध दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. अभियोग-पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए भा.द. वि. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना प्रकट किया गया।

5. प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि -

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 24.10.2015 को दिन के लगभग 9:00 बजे फरियादिया इक्विनो उर्फ गायत्रीबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए फरियादिया से फ्रीज, टी.वी.वांशिग मशीन मोटरसायकल एवं 50,000/-रुपये नकद दहेज की मांग की एवं नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की?
2	क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया से दहेज के रूप में फ्रीज, टी.वी.वांशिग मशीन मोटरसाईकिल एवं 50,000/- रुपये की अवैध रूप से मांग की?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2 एवं 3 का निराकरण :-

6. उपरोक्त तीनों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादिया इक्विनो उर्फ गायत्रीबाई

(अ.सा.1) ने कोई कथन नहीं किये हैं, साक्षी का केवल इतना कथन है कि 10-11 मा पूर्व उसके अपने ससुराल वालों से घरेलू बातों को लेकर मनमुटाव व विवाद हो गया था उसने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना दिनांक को उसके पति ने दहेज में रुपये 50,000/- एवं फ्रीज, टी.वी.वांशिग मशीन एवं मोटरसाईकिल नहीं देने का कहकर उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की और उसकी सास ने भी उसके पति को मारपीट के लिये उकसाया था। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी 2 के कथनों में भी उक्त बातें लिखाने से इंकार किया है। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि अभियुक्तगण से राजीनामा होने से अभियुक्तगण के पक्ष में असत्य कथन कर रही है।

8— राजनाथ जरमा (अ.सा.2) एवं राधाबाई (अ.सा.3) ने उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षियों ने अभियोजन के सभी सुझावों से स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

9— सुरेन्द्र कनेश (अ.सा.4) दिनांक 05.11.2015 को थाना अंजड़ में फरियादी द्वारा दिये गये प्रदर्श पी 1 के आवेदन की जाँच के उपरांत अपराध क्रमांक 254/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 की दर्ज करना और उस पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे और राजनाथ के पेश करने पर विवाह की पत्रिका एवं शादी के फोटोग्राफ प्रदर्श पी 3 के अनुसार जप्त किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसने असत्य रूप से प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है अथवा फरियादी एवं साक्षियों ने उसे कोई भी कथन नहीं दिये अथवा असत्य विवेचना की है।

10— राजीनामा होने के कारण भी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराये गये हैं।

11— ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा पेश किया है तथा फरियादी के चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय पर फरियादिया से 50,000/- एवं फ्रीज, टी.वी.वांशिग मशीन एवं मोटरसाईकिल दहेज के रूप में मांगने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तो साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय, व स्थान पर फरियादिया इक्विनो उर्फ गायत्रीबाई से 50,000/- एवं फ्रीज, टी.वी.वांशिग मशीन एवं मोटरसाईकिल की अवैध मांग कर उसे शारीरिक एवं

मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट करके कूरता कारित की इस प्रकार अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण मनीष पिता सीताराम गाढे, निवासी शिक्षक कॉलोनी अंजड तथा श्रीमती बसंतीबाई पति सीताराम गाढे, निवासी शिक्षक कॉलोनी अंजड, थाना अंजड को भा.द.वि. की धारा 498—ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

10— अभियुक्तगण जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति शादी की पत्रिका, शादी के फोटोग्राफ एवं दहेज के सामान की सूची मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड जिला बड़वानी, म.प्र.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड, जिला बड़वानी, म.प्र.